

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं: अध्याय I में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शासन की प्रतिक्रियाओं के साथ—साथ प्रमुख विभागों के व्यय पर संक्षिप्त विवेचना तथा लेखापरीक्षा की योजना और सीमा प्रस्तुत करता है। अध्याय II निष्पादन लेखापरीक्षाओं (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन; और (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III (i) छत्तीसगढ़ में ई—प्रॉक्यूरमेंट प्रणाली; (ii) केन्द्रीय सड़क निधि एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विकास पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा; और (iii) विभिन्न विभागों में सात लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रणालीगत कमियों, दुरुपयोग, धोखाधड़ी, हानि, निष्फल व्यय, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, अदेय लाभ, अधिक भुगतान आदि मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष कुल ₹ 384.05 करोड़ मूल्य के हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिरक्षापन विधि और बिना प्रतिस्थापन के संभावित अनुपात आकार विधि के आधार पर लिये गये हैं। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसायें शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गयी हैं। इस विहंगावलोकन में लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया गया है।

1 कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, किफायती, उत्तरदायी, प्रभावी और उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) लागू किया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को दूर करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मौजूदा कार्यक्रमों, जिसमें प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) और विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं को छत्रछाया प्रदान करना था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

मानव संसाधन प्रबंधन

राज्य में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधनों की अत्याधिक कमी है जिसने एनआरएचएम के उद्देश्यों के अनुरूप सेवाओं के प्रदाय में विपरीत प्रभाव डाला है। इसमें स्वीकृत पदों के विरुद्ध विषेशज्ञ चिकित्सकों की कमी 89 प्रतिशत (1,312 में से 1,167), चिकित्सा अधिकारियों में कमी 36 प्रतिशत (1,640 में से 583), स्टाफ नर्स 34 प्रतिशत (3,603 में से 1,225) और पैरामेडिकल में 12 प्रतिशत (3,716 में से 429) थी। यद्यपि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने वर्ष 2012–13 से 2017–18 (फरवरी 2018) तक चिकित्सा अधिकारियों के पद पर 1226 चिकित्सकों की नियुक्ति की परंतु केवल 474 चिकित्सा अधिकारियों (35 संविदा आधार पर नियुक्तियों को सम्मिलित करते हुए) द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। चिकित्सकों के पदभार ग्रहण करने में अरुचि के कारणों का विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसके अलावा, 208 चिकित्सा अधिकारियों/सहायक चिकित्सा अधिकारियों, 911 स्टाफ नर्स और 196 अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन चाहा गया था (अगस्त 2018) जो लंबित है (अगस्त 2018)। नमूना जांच किए गए जिला चिकित्सालयों/सीएचसी/पीएचसी में अधिकतर रिक्तियां सर्जरी, स्त्री रोग, नेत्र रोग,

रेडियोलाजी, हड्डी रोग, पैथोलाजी, ईएनटी और दंत रोग के क्षेत्र में है। यद्यपि जहां चिकित्सक उपलब्ध¹ हैं वहां भी रोगी चिकित्सकीय उपकरणों, दवाओं उपभोग्य वस्तुओं और प्रयोगशाला सेवाओं की कमी के कारण विभिन्न रोगों की जांचों से वंचित² थे और जैसा कि अंतः रोगी विभाग (आइपीडी) पंजी के अवलोकन से पता चला उन्हें अन्य चिकित्सालयों जैसे डॉ भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बिलासपुर इत्यादि में रेफर किया गया था।

अनुशंसा

महत्वपूर्ण रिक्तियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को भरने में विभाग को प्राथमिकता देना चाहिए और चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों, प्रयोगशाला सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए ताकि मिशन के अधिदेश पर प्रत्येक स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान किया जा सके।

कांडिका 2.1.8.1

अधोसंरचना की उपलब्धता

राज्य में आइपीएचएस मानकों के विरुद्ध सीएचसी में 24 प्रतिशत (223 में से 54) और पीएचसी में 11 प्रतिशत (884 में से 99) की कमी थी। इसके अलावा, मार्च 2017 की स्थिति में 20 सीएचसी, 88 पीएचसी और 768 एसएचसी के पास स्वयं के भवन नहीं थे और वे निजी भवनों, पंचायत भवनों, अन्य सरकारी भवनों में संचालित थे। इन भवनों में स्थान, आधारभूत संरचना, प्रसव कक्ष, बिस्तर, पानी की सुविधा, शौचालय इत्यादि की कमी के कारण स्वास्थ्यगत सुविधाओं के प्रदाय में कमी आई।

यद्यपि विभाग द्वारा कमियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था परंतु वर्ष 2012–16 के दौरान स्वीकृत 186 कार्य जिसमें ₹ 14.06 करोड़ व्यय हो चुके थे स्वीकृति के 20 से 56 माह के पश्चात् भी संवेदनशील क्षेत्र में कार्य के होने के कारण निविदाकारों द्वारा भाग नहीं लेने, निविदा के उच्च दरों, भूमि उपलब्धता की पहचान और अंतिमीकरण करने में विलंब के कारण अपूर्ण थे। इनमें चयनित जिलों में 32 कार्य जिनमें ₹ 2.25 करोड़ व्यय हो चुके थे पूर्णता तिथि के आठ से 44 माह के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जून 2018 की स्थिति में इन्हीं कारणों से अपूर्ण थे। इसके अलावा, 70 स्वास्थ्य केन्द्र (वर्ष 2012–16 के दौरान स्वीकृत) स्थान परिवर्तन, निविदा प्रक्रिया में विलंब, उच्च दरें प्राप्त होने के कारण निविदा को फाइनल नहीं किए जाने के कारण दिसंबर 2017 की स्थिति में एक से चार वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए थे।

इसके अलावा, वर्ष 2012–13 के दौरान मेडिकल स्टाफ के लिए प्रारम्भ किए गए राशि ₹ 25.33 करोड़ के 159 क्वार्टर निविदाकारों के भाग नहीं लेने, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और भूमि की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण करने में विभाग की विफलता के कारण चयनित स्वास्थ्य केन्द्रों में भी आवासीय क्वार्टर की अत्याधिक कमी थी जोकि आइपीएचएस मानकों की तुलना में सात डीएच में 81 प्रतिशत, 14 सीएचसी में 36 प्रतिशत और 28 पीएचसी में 87 प्रतिशत थी।

¹ चयनित सात डीएच में से चार में, चयनित 14 सीएचसी में से छः में और चयनित 28 पीएचसी में से नौ में 75 से 100 के मध्य

² उपकरणों की कमी डीएच में 27 से 41 प्रतिशत, सीएचसी में 25 से 69 प्रतिशत और पीएचसी में 32 से 64 प्रतिशत के मध्य थी। इसी तरह दवाईया एवं उपभोग्य सामग्रियां की कमी डीएच में 40 से 76 प्रतिशत, सीएचसी में 52 से 75 प्रतिशत और पीएचसी में 45 से 67 प्रतिशत के मध्य थीं एवं लैबोरेटरी सेवायें में कमी डीएच में 45 से 63 प्रतिशत, सीएचसी में 36 से 58 प्रतिशत और पीएचसी में 38 से 71 प्रतिशत के मध्य थीं।

अनुशंसा

विभाग को भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता में अंतर का आंकलन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाएं एवं पूर्ण भवनों का उपयोग करने के लिए परियोजना की बाधाओं को रेखांकित करे।

कांडिकाएं 2.1.9.1 & 2.1.9.3(i)

स्वास्थ्य आधारभूत संरचना की गुणवत्ता

विभाग ने 46 सीएचसी को प्रथम रेफरल यूनिट (एफआरयू) में उन्नयन करने के लक्ष्य की तुलना में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी के कारण 28 (61 प्रतिशत) सीएचसी को एफआरयू में उन्नयन किया, हालांकि राज्य में 169 सीएचसी थे। परिणामस्वरूप सीज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी इन एफआरयू तक सीमित थी। जांच किए गए जिलों में 9412 सीज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी में से 220 (2.3 प्रतिशत) सीएचसी में आयोजित किए गए थे जो एफआरयू थे। यह इंगित करता है कि महिलाओं को सीज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए ज्यादातर जिला स्तर के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि यह सुविधा राज्य में केवल 14 प्रतिशत (169 में से 24) सीएचसी में उपलब्ध थी।

इसी तरह, डॉक्टरों और नर्सों की अनुपस्थिति के कारण लक्षित 492 पीएचसी में से 273 (55 प्रतिशत) को ही 24x7 सेवा प्रदाता बनाया गया था। हालांकि 14 पीएचसी (28 नमूना जांच किए गए पीएचसी में से) को 24x7 तक उन्नयन किया गया था, एमटीपी सेवा किसी भी पीएचसी में उपलब्ध नहीं थी, शिशु देखभाल और टीकाकरण एक पीएचसी में उपलब्ध नहीं थी, आपातकालीन सेवा और पृथक—पृथक पुरुष और महिला वार्ड 11 पीएचसी में उपलब्ध नहीं थे।

आवश्यक उपकरणों की डीएच में 38 प्रतिशत और सीएचसी में 53 प्रतिशत की सीमा तक कमी थी। जबकि डीएच में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की कमी 40 से 75 प्रतिशत, सीएचसी में 33 से 75 प्रतिशत और पीएचसी में 45 से 75 प्रतिशत थी। कमियों के कारण मुख्यतः छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड (कार्पोरेशन) द्वारा विभाग की दवाओं एवं उपकरणों के मांग किए जाने के बावजूद दवाओं के लिए दर अनुबंध की अनुपलब्धता, निविदाओं की अप्राप्ति, संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा वार्षिक मांगपत्र का विलम्ब से प्राप्त होना आदि कारणों से प्रदाय नहीं किया जाना था। परिणामस्वरूप, मरीजों को बाहर से जैसे जन औषधि केंद्र या स्थानीय दवा की दुकानों आदि से दवाओं को खरीदना पड़ता है, जबकि वर्ष 2013–17 के दौरान सात डीएच और 14 नमूना जांच किए गए सीएचसी में से 10 ने ₹ 2.54 करोड़ का व्यय स्थानीय बाजार से आवश्यक दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के क्रय के लिये किया।

अनुशंसा

विभाग को उपकरण, दवाइयों, नैदानिक सेवाओं इत्यादि में कमी का आंकलन करना चाहिए और कार्पोरेशन के साथ समन्वय करके इनके समाधान करने के तत्काल उपाय करना चाहिए। सीएचसी को एफआरयू और सभी पीएचसी को 24x7 सेवा प्रदाताओं में उन्नयन करने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा सकते हैं।

कांडिकाएं 2.1.9.5(ii) & (iii), 2.1.9.6 & 2.1.9.8

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता

प्रसव पूर्व देखभाल अर्थात् ऐटे नेटल केयर (एएनसी) के लिए राज्य में पंजीकृत 33.09 लाख गर्भवती महिलाओं में से 20.73 लाख (62.65 प्रतिशत) ही पहले तिमाही में पंजीकृत थीं। जांच किए गए जिलों में गर्भावस्था के पहले तिमाही के भीतर केवल 63.54 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया जा सका जबकि 18 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को सभी तीन एएनसी चेकअप प्राप्त नहीं हो पाए। इसलिए, विभाग सभी गर्भवती महिलाओं तक एनआरएचएम के लाभों को विस्तारित करने में पीछे रहा। इसके अलावा, वर्ष 2012–17 के दौरान 5.42 से 28.62 प्रतिशत महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान टीटी टीका की दोनों खुराक (टीटी-1 और टीटी-2) के साथ टीकाकरण नहीं किया गया था। इनके कारणों में गर्भवती महिलाओं द्वारा गर्भावस्था का विलंब से खुलासा, पहुंचविहीन क्षेत्रों में परिवहन सुविधा की अनुपलब्धता, कुछ मामलों में गर्भपात, एएनसी पंजीकरण के बाद महिलाओं के अन्य जिलों या राज्यों में पलायन और महिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपर्याप्त भ्रमण शामिल है।

अनुशंसा

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गर्भवती महिलाओं को आशा की सहायता से पहले तिमाही में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाये और उनको सभी प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा सभी गर्भवती महिलाओं को टीटी टीका दिया जाना चाहिए।

कांडिका 2.1.10.1 (i)

प्रसव पश्चात देखभाल और टीकाकरण

जन्म के बाद अस्पताल में 48 घंटों तक ठहराने के उद्देश्य के विरुद्ध राज्य में 5.05 लाख (35.27 प्रतिशत) महिलाओं और चयनित जिलों में 1.72 लाख (35.02 प्रतिशत) महिलाओं को वर्ष 2012–17 के दौरान प्रसव के 48 घंटों के भीतर छुट्टी दी गई थी। जिसके कारणों में चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध मरीजों के चले जाने (लामा) कुछ पीएचसी में आहार सुविधा की अनुपलब्धता, 512 (785 में से) पीएचसी में 24x7 सुविधाओं की अनुपस्थिति और 145 (169 में से) सीएचसी में सीज़ेरियन सेक्षन डिलीवरी सुविधाओं की अनुपस्थिति थे।

वर्ष 2012–17 के दौरान सात टीके से रोकथाम योग्य बीमारियों के विरुद्ध शिशु टीकाकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य 17 से 23 प्रतिशत मामलों में प्राप्त नहीं किये जा सके। जिसके कारणों में जागरूकता, पहुंचविहीन क्षेत्र और परिवार का बच्चों के साथ अन्य राज्यों में पलायन इत्यादि थे।

अनुशंसा

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रसवोत्तर देखभाल के घटक के रूप में प्रसव के बाद गर्भवती महिला स्वास्थ्य केंद्रों में 48 घंटे तक अनिवार्य रूप से रहें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर शिशु टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कांडिका 2.1.10.3 & 2.1.10.4

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का कार्यान्वयन चावल के लिए 13 जिलों, मोटे अनाज के लिए नौ जिलों और दलहन के लिए सभी 27 जिलों में किया गया था। इससे केवल चार प्रतिशत किसान (1.38 लाख) ही लाभान्वित हुए, जिनके पास राज्य के खेती की छः प्रतिशत (2.76 लाख हेक्टेयर) भूमि थी। मिशन का उद्देश्य हस्तक्षेप जैसे प्रदर्शन, आवश्यकता आधारित आदान और स्थानीय पहल के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

फसलों का उत्पादन

विभिन्न फसलों (चावल, दलहन और मोटे अनाज) का उत्पादन और उपज वर्ष 2012–17 के दौरान सीमाबद्ध बनी रही, और एनएफएसएम से उत्पादकता में कोई विशेष वृद्धि नहीं पायी गई। चावल के संबंध में कम उत्पादन और उपज वर्षा में कमी के कारण माना जा सकता है जो कि पिछली अवधि में 1,317 मिमी औसत वर्षा की तुलना में इस अवधि के दौरान 1,009 मिमी से 1,250 मिमी वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में चावल, दलहन और मोटे अनाज की पैदावार इसके पड़ोसी राज्य झारखण्ड, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की तुलना में कम³ थी और राष्ट्रीय उपज की तुलना में भी वर्ष 2012–13 से 2014–15⁴ में कम थी।

पिछले पाँच वर्षों में राज्य के एनएफएसएम जिलों की तुलना में गैर-एनएफएसएम जिलों में अधिक सिंचाई परियोजनाएं (33 में से 25 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं) होने के कारण एनएफएसएम जिलों के चावल की उत्पादकता को गैर-एनएफएसएम जिलों की उत्पादकता के बराबर नहीं लाया जा सका। यह गैर-एनएफएसएम जिलों में तुलनात्मक रूप से बेहतर उपज के लिये जिम्मेदार है। हालांकि, इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि कृषि विभाग ने जल संसाधन विभाग के साथ मुख्य समस्या क्षेत्रों से अवगत होने के लिये समन्वय किया था जिससे मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनएफएसएम जिलों में सिंचाई की आवश्यक संरचना (जैसे चेक डेम, एनीकट आदि) उपलब्ध कराके इस मुद्दे को हल किया जा सके।

अनुशंसा

विभाग को जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय कर एनएफएसएम जिलों में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के लिए रोस प्रयास किया जाना चाहिए।

कांडिकाएं 2.2.8 (i) & (ii)

प्रदर्शन के माध्यम से एनएफएसएम का कार्यान्वयन

चयनित जिलों में 200 कंट्रोल प्लॉट के विरुद्ध प्रदर्शन प्लॉट के उत्पादन से यह ज्ञात हुआ कि 13 प्रतिशत प्रदर्शनों (200 में से 26) के उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक सुधार आया। यद्यपि प्रदर्शन भूखण्डों में उत्पादन बढ़ा परन्तु तुलनात्मक वृद्धि लगभग समान ही बनी हुई है यहाँ तक कि किसानों ने कंट्रोल प्लॉट में खानीय बीज या हाइब्रिड/एचवाईवी बीज का उपयोग किया। संभवतः यही कारण है कि किसान हाइब्रिड/एचवाईवी बीजों का उपयोग करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं हैं, जैसा कि राष्ट्रीय स्तर की निगरानी दल (एनएलएमटी) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। इस योजना के प्रदर्शन घटक के तहत 74 क्लस्टर की जाँच में पाया गया कि फील्ड डे/प्रचार सामग्रियों का वितरण, वैज्ञानिकों/कर्मचारियों के दौरे के लिए चिन्हांकित राशि का केवल 34 प्रतिशत व्यय किया गया था। इसके अलावा जिला स्तर तक प्रदर्शन प्लॉट और कंट्रोल प्लॉट के उत्पादन पर आंकड़े राज्य स्तर पर संकलित नहीं किये गये थे। इसलिए प्रदर्शन के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों के योगदान का विश्लेषण नहीं किया जा सका और विभाग दिशानिर्देश के प्रावधान अनुसार आगामी वर्षों में विशेष हस्तक्षेपों के आकार की वृद्धि को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

³ वर्ष 2012–15 चावल के लिये और 2013–14 मोटे अनाज के लिय मध्यप्रदेश में: वर्ष 2014–15 में दलहन के लिये झारखण्ड को छोड़कर

⁴ विभिन्न राज्यों की विभिन्न फसलों की पैदावार से संबंधित आकड़े कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) की वेबसाईट पर केवल वर्ष 2014–15 तक उपलब्ध था।

अनुशंसा

विभाग द्वारा इस मद से उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय करते हुए खेती के प्रदर्शन के प्रचार में वृद्धि तथा फील्ड डे, प्रचार समाग्रियों का वितरण एवं वैज्ञानिकों और राज्य शासन के अधिकारियों के भ्रमण पर करना चाहिए।

कांडिकाएँ 2.2.9.1 (ii) & (iii)

एनएफएसएम के अन्य हस्तक्षेप की उपलब्धियाँ

एनएफएसएम महत्वपूर्ण घटक जैसे कि 100 हे क्षेत्र से कम क्षेत्र में प्रदर्शन, कृषि योग्य भूमि के मिट्टी के स्वास्थ्य की अनुपस्थिति, वैज्ञानिकों की यात्राओं को सुनिश्चित करने में विफलता, फील्ड-डे नहीं मनाना, हाइब्रिड/उच्च पैदावार किस्मों का कम उपयोग, बेहतर फसल उत्पादन तरीकों के लिये किसानों को प्रशिक्षण की अनुपस्थिति इत्यादि के तहत कार्यान्वयन में कमियों से ग्रस्त था जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी हुई। बीज वितरण के तहत उपलब्धियों का 70 प्रतिशत चावल के लिये, 71 प्रतिशत दलहन के लिये और मोटे अनाज के लिये 18 प्रतिशत था, जबकि एकीकृत पोषक प्रदर्शन (आईएनएम) और मिट्टी संरक्षण के लिये 71 प्रतिशत और एकीकृत कीट प्रबंधन एवं पौध संरक्षण उपाय के लिये 69 प्रतिशत था। इसके अलावा वर्ष 2012–17 के दौरान प्रशिक्षण के तहत उपलब्धि 83 प्रतिशत और स्थानीय पहल के तहत 59 प्रतिशत थी। कमी के मुख्य कारणों में निगरानी की कमी, बीज वितरण में वृद्धि करने में जिला स्तर बीज समिति गठित करने में विफलता, किसानों को शिक्षित करने में विफलता जो कि अधिकतर (80 प्रतिशत) किसान छोटे और सीमांत श्रेणी से संबंधित हैं और शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाने के उपरांत भी आईएनएम, मिट्टी सुधारक आदि का उपयोग करने के इच्छुक नहीं थे, योजना के दिशानिर्देश से विचलन, प्रशिक्षण की अनुपस्थिति, स्थानीय पहलों आदि के तहत कार्यों के पहचान में कमी इत्यादि। परिणामतः राज्य में चावल, दलहन और मोटे अनाज की उत्पादकता में एनएफएसएम की अपेक्षा अनुसार सुधार नहीं हुआ है।

अनुशंसा

विभाग को मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए और किसानों को हाइब्रिड बीजों/एचवाईवी बीजों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। विभाग को लक्ष्यों के विरुद्ध पूर्ति को अनुकूलित करने के लिए एनएफएसएम के विभिन्न हस्तक्षेपों (आवश्यकता आधारित आदानों, प्रशिक्षण और स्थानीय पहल) के तहत बाधाओं को दूर करना चाहिए।

कांडिकाएँ 2.2.9.2 & 2.2.9.3

निगरानी

परियोजना प्रबंधन दल (पीएमटी) प्रत्येक प्रदर्शन के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये उत्तरदायी था। जिला स्तर पर नियुक्त करने में विफलता के कारण विभाग केवल एक तकनीकी सहायक (17 स्वीकृत पदों में से) के साथ कार्य कर रहा था जिसका कारण अभिलिखित नहीं है। इसके अलावा किसानों को बीज के वितरण की निगरानी के लिये आवश्यक जिला स्तरीय बीज समिति (डीएलएससी) का भी गठन नहीं किया गया था। इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन के लिये निगरानी और पर्यवेक्षण प्रभावी नहीं थे और इसने प्रदर्शन गतिविधियों, बीज वितरण, हस्तक्षेपों का समवर्ती मूल्यांकन पर प्रभाव डाला जिससे किसानों को एनएफएसएम के तहत उपलब्ध हस्तक्षेपों के प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये शिक्षित नहीं किया गया।

अनुशंसा

विभाग को योजना के कार्यान्वयन के समर्त्ती मूल्यांकन को सुनिश्चित करके निगरानी और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाना चाहिये, डीएलएससी का गठन करना चाहिए और एसएफएसएमईसी को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिये बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिये। राज्य और जिले स्तर पर मिशन के निगरानी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिये परामर्शदाताओं, तकनीकी सहायकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

कंडिकारं 2.2.10, 2.2.10.1 & 2.2.10.2

2. कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/विभागों का अनुपालन लेखापरीक्षा

(i) छत्तीसगढ़ में ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली पर लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एमजंक्शन) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटी) द्वारा विकसित नवीन ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की कार्यक्षमता की जांच की। प्रणाली का उद्देश्य ₹ 20 लाख से (मई 2016 में प्रारंभिक सीमा को कम कर ₹ 10 लाख कर दिया गया) ऊपर के सभी निविदाओं के लिए विक्रेता पंजीकरण, निविदा, निर्माण कार्यों को सौंपना था। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक और बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) प्रणाली के स्थापना एवं क्रियाशीलता के पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। एमजंक्शन उपयोगकर्ता संस्थाओं/विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चिप्स की निगरानी के तहत एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के कस्टमाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की आंशिक कार्यक्षमता

प्रणाली को 1 अप्रैल 2016 को मात्र चार परिचालन मॉड्यूल (विक्रेता प्रबंधन, ई-निविदा, ई-भुगतान और एमआईएस) के साथ गो-लाइव घोषित किया गया था तथा 35 इकाइयों/विभागों में लागू किया गया था। इनमें से 22 इकाइयों ने चार मॉड्यूल के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) दिया जबकि 13 इकाइयों ने किसी भी मॉड्यूल के लिए यूएटी नहीं दिया। तेरह इकाइयों/विभाग में बिना किसी मॉड्यूल एवं 22 विभागों/संस्थाओं में चार मॉड्यूल के कस्टमाइजेशन नहीं किए जाने के बावजूद एमजंक्शन को (फरवरी 2016 से सितंबर 2016 के बीच) ₹ 19.78 करोड़ (अनुबंध राशि का 69 प्रतिशत) का भुगतान⁵ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, निविदा के बाद निर्माण कार्यों को सौंपना, माप का रिकॉर्ड, प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना आदि जैसे कार्यों को मैन्युअल रूप से किया गया था, जबकि इन सेवाओं के लिए प्रणाली में समर्पित मॉड्यूल थे। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किसी अन्य प्रणाली (ई-वर्कस⁶ पोर्टल) के माध्यम से किया गया जिसने ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की प्रभावशीलता को सीमित किया। शेष अन्य मॉड्यूल के अक्रियाशील रहने से एमआईएस का उपयोग निगरानी हेतु प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नहीं किया जा सका।

⁵ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर लाईसेंस के साथ, हार्डवेयर की आपूर्ति और अग्रिम में एटीएस (वार्षिक तकनीकी सहयोग) की एक वर्ष की लागत के लिए।

⁶ ई-वर्कस एक अलग पोर्टल है जिसे एनआईसी द्वारा निर्माण विभाग के लिये विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और डब्ल्यूआरडी के लिये विकसित किया गया था जिसके माध्यम से ठेकेदारों को इन विभागों द्वारा भुगतान किया जाता है।

अनुशंसा

प्रणाली में सुधार के लिए निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर सभी विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइजेशन कर सॉफ्टवेयर के सभी आठ मॉड्यूलों को क्रियाशील किया जाना चाहिए।

कांडिका 3.1.2.1

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की अनदेखी करना

पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के प्रमुख अभियंताओं ने चिप्स के आदेशों का पालन करने हेतु अपने अधीनस्थ निर्माण संभागों को कोई निर्देश नहीं दिया था जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। परिणामस्वरूप, चिप्स के ₹ 10 लाख और उससे ऊपर की राशि के सभी निविदाएं केवल ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से किया जाने के निर्देशों (मई 2016) के बावजूद 48 पीडब्ल्यूडी संभागों और 18 डब्ल्यूआरडी संभागों ने ₹ 108.35 करोड़ की 658 निविदाएं⁷ (मई 2016 से जून 2017 के बीच) जो कि प्रत्येक ₹ 10 लाख और ₹ 20 लाख के बीच के मूल्य की थीं आमंत्रित किया।

अनुशंसा

चिप्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ता विभागों/संस्थानों द्वारा ₹ 10 लाख से अधिक राशि की निविदाएं प्रणाली के माध्यम से जारी किये जाने हेतु ठोस प्रयास किये जाते हैं।

कांडिका 3.1.2.2

ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की पारदर्शिता की कमी

सितंबर 2016 से अगस्त 2017 के दौरान राशि ₹ 4,601 करोड़ के 1,921 निविदाओं में, निविदा विवरण अपलोड करने के लिए राज्य शासन के 17 विभागों द्वारा 74 कंप्यूटरों का उपयोग किया गया था और इन्हीं कंप्यूटरों का इस्तेमाल एक या अधिक निविदाकारों द्वारा इन 1,921 निविदाओं के लिए अपने दर अपलोड करने के लिए भी किया गया था। इनमें से 477 निविदाकारों जिन्होंने कम से कम एक शासकीय अधिकारी के साथ इन समान मर्शीनों का उपयोग किया था, उन्हें ₹ 961.26 करोड़ के निर्माण कार्य सौपे गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रणाली, जिसमें इस तरह के उल्लंघनों का रोकने के लिए अंतर्निहित बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल था, इस तरह की चूक का पता लगाने में असमर्थ रहा, जब तक कि लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित नहीं किया गया।

अनुशंसा

डीईआईटी को एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा 17 विभागों में ₹ 4,601 करोड़ मूल्य की 1,921 निविदाओं में अधिकारियों और निविदाकारों द्वारा एक ही मर्शीनों के उपयोग पर सतर्कता के दृष्टिकोण से जांच सुनिश्चित करना चाहिए।

कांडिका 3.1.3.1

प्रणालीगत/नियंत्रण विफलताएं

✓ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 ब, जो यह प्रतिपादित करता है कि एक व्यक्ति केवल एक ही पैन रख सकता है, का उल्लंघन करते हुए, 79 ठेकेदारों/विक्रेताओं ने पैन नंबर के दो सेटों का इस्तेमाल किया, एक पीडब्ल्यूडी के ई-वर्क्स पोर्टल में

⁷ पीडब्ल्यूडी-624 की राशि ₹ 102.92 करोड़ और डब्ल्यूआरडी-34 की राशि ₹ 5.43 करोड़

पंजीकरण के लिए और दूसरा ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में उनके विक्रेता—आईडी सृजन करने के लिए। इनमें से 24 ठेकेदारों को ₹ 209.50 करोड़ के निर्माण कार्य सौंपा गया।

✓ यद्यपि, ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में पहले से दर्ज किए गए उसी पैन के विरुद्ध दो विक्रेता—आईडी के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए विक्रेता प्रबंधन मॉड्यूल को डिजाइन किया गया था, यह 90 मामलों (विक्रेता—आईडी) में उसी पैन के विरुद्ध दो विक्रेता—आईडी उत्पन्न किए गए। इस प्रकार, प्रणाली के वास्तु डिजाइन के विरुद्ध पैन को अद्वितीय क्षेत्र के रूप में नहीं बनाया गया था।

अनुशंसा

एनआईसी द्वारा संधारित ई-वर्क्स पोर्टल एवं आयकर विभाग के साथ प्रणाली को एकीकृत करने हेतु तथा पैन जैसे अद्वितीय क्षेत्रों के लिए इनपुट नियंत्रण रखने के लिए चिप्स को पर्याप्त और समय पर उपाय करना चाहिए।

कांडिका 3.1.3.2

✓ राशि ₹ 225.14 करोड़ के 133 निविदाओं में, विभिन्न निविदाकारों ने एक ही निविदा हेतु आवेदन करते समय विक्रेता—आईडी प्राप्त करने के लिए समान साझेदार की ईमेल—आईडी का उल्लेख किया जबकि इन निविदाओं में से 48 में, एक से अधिक निविदाकारों ने समान साझेदार के ईमेल—आईडी के अलावा एक ही प्राथमिक ईमेल—आईडी का उल्लेख किया। इन सभी 133 निविदाओं में, इस तरह के एक निविदाकार ने निर्माण कार्य प्राप्त किया जो यह दर्शाता है कि इन निविदाकारों ने संभवतः अपने प्रतिस्पर्धियों के अनुरूप अपने प्रस्तावों को समायोजित करके निविदाओं के लिए बोली लगाने के लिए आपस में कार्टेल बनाया है।

✓ राशि ₹ 15.44 करोड़ की पाँच निविदाओं में, उन ठेकेदारों ने कार्य प्राप्त किया था जो बोली प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं थे क्योंकि उनकी योग्यता निविदाओं की श्रेणी से कम थी। इसके अलावा, 12 निविदाओं में, उन ठेकेदारों को ₹ 89.34 करोड़ के अनुबंध दिए गए थे जिन्होंने पिछले पाँच वर्षों के आयकर रिटर्न/अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए थे या वित्तीय क्षमताओं पर आंशिक दस्तावेज जमा किए थे।

अनुशंसा

चिप्स को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा समान ईमेल—आईडी के उपयोग को अयोग्य ठेकेदारों को कार्यों के लिए बोली लगाने से रोकने हेतु तथा प्रणाली के माध्यम से बोलियों की प्रसंस्करण से पहले निविदाकारों द्वारा सभी पूर्व योग्यता दस्तावेज को जमा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मॉड्यूलों के लिए पर्याप्त अंदरूनी नियंत्रण की स्थापना सुनिश्चित करना चाहिए।

कांडिकाएं 3.1.3.3, 3.1.3.4 & 3.1.3.5

✓ मात्र ₹ 4.38 करोड़ की बोली क्षमता के विरुद्ध, एक ठेकेदार को पीडब्ल्यूडी के निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उसकी बोली क्षमता को दरकिनार करते हुए ₹ 7.19 करोड़ की निविदा प्रदान की गई। परिणामस्वरूप, उसकी बोली क्षमता घटकर ₹ 2.75 करोड़ हो गई। ठेकेदार की वास्तविक बोली क्षमता को नकारते हुए उसे अगस्त 2016 और अक्टूबर 2016 के बीच ₹ 16.58 करोड़ की लागत के अतिरिक्त 10 निर्माण कार्य सौंपे गए। इस प्रकार, पूरी तरह से, ठेकेदार को उसकी बोली क्षमता को दरकिनार करते हुए ₹ 23.77 करोड़ के 11 निविदाओं के साथ अनुगृहीत किया गया था, यद्यपि उसके सभी प्रगतिरत कार्यों के विवरण सिस्टम में ही उपलब्ध थे। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस तरह के कार्यों को देने के लिए प्रणालीगत नियंत्रण को या तो कमज़ोर किया गया या फिर उनके साथ समझौता किया गया है।

अनुशंसा

डीईआईटी को पीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय करके ठेकेदारों की बोली क्षमता को छिपाकर अयोग्य निविदाकारों को निर्माण कार्य सौपे जाने के सभी मामलों की सतर्कता जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए। उपर्युक्त मामलों में शामिल निविदा समिति के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। निविदाकारों की बोली क्षमता को छिपाने से रोकने के लिए अतर्निहित बिजनेस इंटेलिजेंस तंत्र का व्यापक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

कंडिका 3.1.3.7

(ii) केंद्रीय सङ्क निधि और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सङ्कों के विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2008–13 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। प्रतिवेदन जुलाई 2014 में राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया था। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को अनुपालन हेतु स्वीकार किया गया था।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार अनुशंसाओं में से दो का पालन नहीं किया गया जिसमें (i) निर्दिष्ट परियोजनाओं पर समयबद्ध तरीके से निधि का उपयोग; तथा (ii) विशिष्टियों और नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन शामिल थी।

(i) स्वीकृतियों के दोहरीकरण पर अनुशंसा; तथा (ii) विस्तृत सर्वेक्षण, जाँच और भूमि के अधिग्रहण बाद ही कार्य लिए जाने की अनुशंसा को आशिक रूप से लागू किया गया।

कंडिका 3.2

(iii) लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाईं जो कि राज्य शासन की प्रभावशीलता पर असर डालती हैं। प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा (सात कंडिकाएं) में उजागर हुई कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को रेखांकित किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष नियमों और विनियमों के अनुपालन के अभाव, औचित्य लेखापरीक्षा, पर्याप्त न्यायसंगत के बिना व्यय के प्रकरण, सिस्टमिक कमियों, दुरुपयोग, धोखाधड़ी, हानि, निष्फल व्यय, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, अदेय लाभ तथा अधिक भुगतान से संबंधित हैं। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है:

✓ सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास एवं जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के अधीन 21 अकार्यशील निजी विद्यालयों को विभिन्न स्तरों पर कपटसंधि सहित ₹ 1.40 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान

(कंडिका 3.3.1)

✓ कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रामानुजगंज द्वारा एक फर्म को ₹ 39.16 लाख मूल्य के आपूर्ति आदेश प्रदान करने में अनियमितता तथा फर्म को बढ़ी हुई दर पर ₹ 17.24 लाख का कपटपूर्वक भुगतान किया जाना

(कंडिका 3.3.2)

✓ एक सङ्क के निर्माण में एमओआरटीएण्डएच स्पेसीफिकेशन एवं आईआरसी पेवमेंट डिजाइन के प्रतिकूल इनवर्टर्ड चोक की परत चढ़ाये जाने के कारण ₹ 4.75 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त लागत

(कंडिका 3.3.3)

✓ एमओआरटीएण्डएच एवं आईआरसी के प्रावधानों का उल्लंघन कर सर्विस रोड सहित एक छ: लेन सङ्क की स्वीकृति के अतिरिक्त निर्माण विभाग मैनुअल का उल्लंघन

कर रेलवे भूमि में एक अन्य सड़क का निष्पादन जिससे अपूर्ण सर्विस रोड़ पर ₹ 61.29 लाख का निष्फल व्यय एवं रेलवे भूमि पर सड़क निर्माण कार्य पर ₹ 33.81 लाख का निरर्थक व्यय

(कांडिका 3.3.4)

✓ मौजूदा सब-ग्रेड को खदानों से मिट्टी लाकर उन्नत करने के बावजूद अनुचित रेत परत के निष्पादन के कारण ₹ 78.64 लाख के परिहार्य अतिरिक्त लागत सहित रेत परत के कार्य के निष्पादन की दर को बढ़ाकर ₹ 49.01 लाख का अधिक भुगतान

(कांडिका 3.3.5)

✓ भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम तैयार किये बिना तथा इसके अधिग्रहण को सुनिश्चित किए बिना मोहड़ परियोजना का कार्य प्रारंभ करने और भारत सरकार से पर्यावरण एवं वन अनापत्ति प्राप्त करने में विफल होने के कारण अपूर्ण कार्य जिन्हें निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सका पर ₹ 9.28 करोड़ के निष्फल व्यय

(कांडिका 3.3.6)

✓ गलत टैरिफ के प्रयोग के कारण दो कंपनियों से जल कर की कम दर पर वसूली के अलावा अन्य कंपनी से बकाया जल प्रभार की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली ना होना

(कांडिका 3.3.7)

अभिलेखों का लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किया जाना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 18(1)(ब) निर्धारित करती है कि सीएजी के पास इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में जो कि किसी भी लेखे, पुस्तकों और अन्य अभिलेखों जो ऐसे लेनदेन जिनके साथ लेखापरीक्षा के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों का विस्तार होता है से सरोकार रखते हैं या उसका आधार बनाते हैं या अन्यथा संबंधित हैं की मांग करने का अधिकार है। इस प्रावधान को लेखा और लेखापरीक्षा विनियमन 2007 की विनियम 181 द्वारा और विस्तार किया गया है जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग या इकाई लेखापरीक्षा को आवश्यक आंकड़ों, सूचना और अभिलेख समय पर उपलब्ध कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित और क्रियान्वित करेगा।

सचिव, छत्तीसगढ़, विधानसभा सचिवालय (सीवीएसएस) के कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति के दस्तावेजों⁸ की लेखापरीक्षा में दो बार, पहला फरवरी 2017 में तथा पुनः अगस्त-सितम्बर 2018 में मांग किए जाने मांग किए जाने और बार-बार रमरण कराये जाने के बाद भी उप सचिव (लेखा) द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। दस्तावेजों का इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना सीएजी के संवैधानिक अधिदेश के अभ्यास को गंभीर रूप से सीमित कर दिता है और इसके परिणामस्वरूप गलत करने, गलत नियुक्तियों की संभावना इत्यादि हो सकती है। यह एक चेतावनी है जिसकी सतर्कता के परिप्रेक्ष्य से जाँच की जानी चाहिए और संबंधित उप सचिव (लेखा) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाही करने के लिये विचार किया जाना चाहिये।

अनुशंसा

राज्य शासन को सतर्कता के परिप्रेक्ष्य से दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले की जाँच करने के लिए सचिव, सीवीएसएस को निर्देशित करना चाहिये और उप सचिव (लेखा) के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिये विचार करना चाहिये।

⁸ सेवा पुस्तिका, कर्मचारियों की व्यक्तिगत नास्तियाँ, नियुक्ति और पदोन्नति आदेश, पदक्रम सूची इत्यादि